Title: Discussion on the motion for consideration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017 (Discussion not concluded).

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Item No. 27.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister will just move the Bill for consideration.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Item No. 27, the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017.

Now, the Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, be taken into consideration."

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, do you want to say something about this Bill?

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, let it be taken up tomorrow. We have the House tomorrow also.

HON. CHAIRPERSON: The House is there up to 6 o'clock.

SHRI HARDEEP SINGH PURI : Madam, any sovereign State, which stands to reason must have the power to requisition and acquire property for defence and national security purposes. This power of the State is exercised with an equal obligation that the State must pay compensation on a fair and just basis. Even during war time, prior to 1947, the Defence of India Act, 1939 and rules made thereunder gave the State these powers. After 1947, the Requisition Land (Continuance of Powers) Act of 1947 gave the State these powers. This Act expired in March 1952.

The present Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 was enacted on 14 March 1952. This Act has been amended on 11 occasions. The present is the 12th Amendment and it is being introduced specifically for defence and national security purposes.

Section 3 of this Act provides for requisition of property while Section 7 provides for acquisition within a period of 17 years of the initial requisition. The procedure, which is prescribed for acquiring the requisition property mandates that a show-cause notice and then an order of acquisition in a

prescribed form 'J' be issued. The notice for acquisition provides an opportunity to concerned persons to be heard before the order of acquisition is passed.

Why are we coming with this Amendment? Very often, we find that an order of acquisition is challenged and challenged in a manner in order to delay the proceedings. After the litigation process is complied with and the Government intervention in the interim has already raised the value of the land many times, the question arises: From which date will you provide the compensation to the person or entity whose land has been acquired?

In many cases, the Government finds itself in a situation where the compensation that is being sought as a result of the challenges which are brought before the court on the limited plea that the party concerned has not been heard, results in unintended benefits accruing to the party whose land has been acquired.

The purpose of this amendment, in short, is to provide with the retrospective effect from 1952 that the acquisition notice under Section 7 will be deemed to have been issued with retrospective effect. In other words, if a person brings a challenge to the acquisition, that person will have to pay the cost of bringing that challenge. The State, meanwhile, has no intention of going back on its obligation to pay just and fair value. The compensation which will be paid for the acquisition for national security purposes will be calculated from the original date of the original notice and the State, meanwhile, will pay fixed deposit rate as paid by the State Bank of India. This is the crux of the amendment that we are seeking to bring. I have received notices from three hon. Members for specific amendments that they want to introduce. Maybe, because of the lateness of the hour, I do not know whether you would wish me, Madam, to take up those amendments now or we take them up tomorrow when we bring the Bill up for a detailed consideration.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैडम, माननीय मंत्री जी ने अभी यह बिल इंट्रोडयूज़ किया है, 'रिक्वीजीशन एण्ड एक्यूजीशन इम्मूवेबल प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट बिल) 2017'। इस देश के अंदर प्रधान मंत्री जी ने लगभग सवा सौ बिलों में अमेंडमेंट और बदलाव किए हैं, जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे। पहले किसी ने न चिंता की या सोचा नहीं था, क्योंकि जो बिल में अमेंडमेंट होते थे, वह सलीम भाई कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर पाते थे। आप लोग जिनको समर्थन किया करते थे।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : यह आपका बनाया हुआ कानून है।

श्री रमेश बिधूड़ी : यह अपना बनाया हुआ कानून है, जिनको आप जानते हैं। उस समय कौन सत्ता में थे। आप वहीं से निकल कर आए हैं। इस बिल को इसीलिए, For the interest of the nation and for the interest of the security of the nation. इस बात को लेकर इस बिल में अमेंडमेंट लाया गया है। मैं इसके समर्थन में इसलिए भी खड़ा हुआ हूं, क्योंकि अगर देश की तरक्की के लिए, डिफेंसेज़ के लिए कहीं जमीन एक्वायर करनी हैं, सैक्शन 3 का नोटिस देना है। मुझे पहले ये सारी बातें माननीय मंत्री जी ने बतायी हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं। जिसकी जमीन एक्वायर होती है, वह कोई छोटा किसान नहीं होता, एक एकड, दो एकड़ या चार एकड़ का मालिक नहीं

होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बातें लीक हो जाया करती हैं और सभी छोटे किसानों की जमीनों को एक पैसे वाला व्यक्ति खरीद लेता है कि यह जमीन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्वायर होने वाली है। वह जमीन खरीद लेता है, जैसे ही गवर्नमेंट नोटीफिकेशन करेगी, क्योंकि हमारा प्रोवीजन है। फण्डामेंटल राइट्स के अनुसार आदमी कहता है कि आपने मुझे नोटिस तो दे दिया और सैक्शन 7 का नोटिस भी दे दिया। मैंने तो सुना ही नहीं था। इस बात को लेकर आदमी कोर्ट में चला जाता है। जब आदमी कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। वह कोर्ट में स्टे के बावजूद इसलिए लटकाया जा रहा है कि मेरी संपत्ति की जो कीमत है, वह बढ़ रही है। जमीनों की कीमत बढ़ेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो डेवलपमेंट है या डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार को कुछ करना है तो वह नहीं कर पाएगी और डिले होता चला जाएगा। 15-20 साल के बाद अगर कहीं न कहीं कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया या उसके फेवर में दे दिया और जैसे अभी हालात हैं, 24/2 दिल्ली लैण्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर डी.डी.ए. में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश हुआ है। आज अरबों रुपये की संपत्ति डी.डी.ए. और कुछ लोगों के माध्यम से मिलकर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिले हुए हैं। संपत्ति को हड़प कर लिया गया। जैसे 2जी स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला आदि इस प्रकार के जो घोटाले होते थे, उन घोटालों से बचने के लिए कि अगर हम सैक्शन 7 इंप्लीमेंट करेंगे और कोर्ट ने उसके फेवर में ऑर्डर कर दिया तो सरकार उसको कंपनसेशन देगी लेकिन कम्पैनसेशन तभी देगी, जब सैक्शन-3 का नोटिस दिया था, उसी कीमत पर देगी। लेकिन उसके साथ-साथ ...(व्यवधान) लेकिन उसे तीन के बाद जो 15, 17 या 20 साल लगे हैं तो उस पर सरकार उसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फिक्स्ड डिपाजिट का इंटरैस्ट है, उस पर इंटरैस्ट देगी। हो सकता है कि कुछ लोग विरोध करने के लिए इसका विरोध करेंगे। इस कानून में केवल नेशनल सिक्युरिटी और डिफैंस के लिए अगर जमीन एक्वायर होगी, इस बिल के अंदर प्रोविजन है कि तभी यह व्यवस्था लागू होगी। अगर कोई केंद्र सरकार से मॉल बनाने के लिए या कोई अन्य किसी स्पेसिफिक डैवलपमैन्ट के लिए इस्तेमाल करेगा तो वहां यह क्लाज लागू नहीं होगी। दिल्ली के अंदर अंग्रेजों के समय के सैक्शन 81 और 33 कानून चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन्हें एबॉलिश करने के लिए यहां एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। कोई जमींदार सात एकड़ या दस एकड़ जमीन का मालिक है, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, तब उनकी मोनोपोली होती थी। अगर मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, मुझे घर बनाना है या बच्चों में सम्पत्ति बांटनी है तो अगर मैं उसमें से एक-दो एकड़ जमीन बेचना चाहूं तो मैं देश की 70 साल की आजादी के बाद आज भी वह नहीं बेच सकता। मुझे सारी की सारी दस एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। मैं उसमें से एक-डेढ़ एकड़ जमीन नहीं बेच सकता, कहां गये हमारे फंडामेंटल राइट्स। इस देश में सत्तर सालों तक सरकार में बैठे रहने वाले लोगों के लिए ही ये राइट्स थे। चूंकि वह अपनी एक या डेढ़ एकड़ जमीन नहीं बेच सकता, इसलिए बेचारे को मजबूरी में अपनी पूरी 12 एकड़ जमीन बेचनी पड़ेगी या किसी और बच्चे के नाम करनी पड़ेगी और सरकार को जबरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा।

मैं गांव का व्यक्ति हूं, मेरा परिवार बढ़ गया, मेरे चार बेटे हो गये। मेरे गांव के बाहर रोड से लगी हुई मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर मैं उस पर अपनी निजी मकान बनाऊंगा तो सैक्शन 81 के अंदर उसे ग्राम सभा में वेस्ट कर देंगे। आज तक दिल्ली में एक इंच जमीन ग्राम सभा में वेस्ट नहीं हुई है। लेकिन ग्राम सभा में वेस्ट होने के नाम पर एक्जीक्यूटिव अथारिटीज आती हैं, उनको डराती हैं और उनसे पांच से दस लाख रूपये लेती हैं, जो व्यक्ति पैसा नहीं देता, उसके मकान को वे डिमालिश कर देती हैं कि आपने लैंड यूज चेंज कर दिया। आज तक सैक्शन 81 के कानून में बदलाव नहीं हुआ। इस प्रकार के जो कानून हैं, इन कानूनों से निजात पाने के लिए जो पैसा सरकार को देश के डैवलपमैन्ट के लिए, लोगों के डैवलपमैन्ट के लिए या देश की रक्षा के लिए देना चाहिए, वह चंद लोगों के हाथों में चला जाता है। अभी बातों-बातों में एक केस आया है। इसके अलावा एक और केस है। रोटरी कोऑपरेटिव

हाउसिंग सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी 25 साल पहले बनी। उसकी जमीन डाइवर्सिटी पार्क के नाम पर एक्वायर कर ली, वहां न तो आज तक डाइवर्सिटी पार्क बना है और न उस सोसाइटी को घर बनाने के लिए जमीन दी गई है। कम से कम इस कानून के अंदर अगर सोसाइटी या डाइवर्सिटी पार्क बनाने के नाम पर जमीन एक्वायर की जायेगी तो उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। कुछ लोग जमीन के नाम पर फील्ड में ग्राउंड के लोगों को गुमराह करने की बात भी करेंगे कि अगर आज मेरी जमीन एक्वायर हो गई, मुझे सुनने का मौका नहीं दिया और सरकार ने जबरदस्ती तानाशाही करके मेरी जमीन ले ली। इसलिए यह कानून उन लोगों के लिए है, जिन लोगों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोटबंदी का कानून लेकर आए थे। लोग अब भी चिल्ला रहे हैं। जबकि नोटबंदी को देश की जनता ने एक्सैप्ट किया है कि अच्छा निर्णय हुआ है। लोग अभी भी पूछते हैं कि 15 लाख हजार करोड़ रुपया आपके पास था, अगर उतना ही पैसा है तो ब्लैक मनी कहां चला गया। जो सेठ धन्नामल की तिजोरियों में माल रखा हुआ था, वह बैंकों में आ गया, उनका हजारों करोड़ रुपया टैक्स के रुप में देश में आ गया। उस टैक्स के माध्यम से ही गडकरी साहब इतने लम्बे-चौड़े विकास करते चले जा रहे हैं, जो वह अभी बता रहे थे। जो टैक्स आया है, जो ब्लैक मनी लोगों के घरों में था, हमें यह शौक नहीं था कि किसी का ब्लैक मनी है तो उसे एबॉलिश कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए या उसे मार दिया जाए। सरकार की मंशा यह थी कि अगर तुम्हारे घर में अवैध पैसा रखा हुआ है तो जो तुम्हारी कैपेसिटी है, उससे ऊपर जो पैसा है, आप उसका टैक्स इंकम टैक्स के रूप में जमा करिए। यह सरकार की मंशा थी। देश के जो 85 प्रतिशत गरीब लोग हैं, उनके किसी के भी घर में दो लाख, पांच लाख या दस लाख रुपये नहीं थे, यह पैसा था तो केवल ... * की तिजोरियों में था, उन्हें दर्द हो रहा था क्योंकि उनका ब्लैक मनी का पैसा उनकी तिजोरियों में था। उसी पैटर्न पर यह कानून है कि जो बड़े धन्नासेठ लोग हैं, वे छोटे किसानों की जमीन को लिंकेज होने के बाद उन जमीनों को खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद जब गवर्नमैन्ट उसे नोटिफाई करती है तो गवर्नमैन्ट को ब्लैकमेल करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं होने देते हैं, इसके कारण देश की तरक्की और भारत की सुरक्षा में बाधा डलती है और सरकार जो आगे कदम उठाना चाहती है, वह कदम नहीं उठा पाती है।

मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वह डिप्लोमैट के रूप में चालीस सालों तक विदेश में रहे हैं। इस दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली की गवर्नमैंट जो स्टैप उठाती है।

18.00 hours

मुझे मालूम है उनकी सहमति इनको चाहिए, वे बिल पास कर के भेजेंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर है, इस एनसीआर को होते हुए, नैशनल कैपिटल को होते हुए, अगर यह दिल्ली की सरकार न करे, केजरीवाल सरकार न करे तो सैक्शन 81 के अंदर, 24(2) के अंदर, दिल्ली में विकास के लिए डीडीए की जो जमीन जानी थी और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कैश कर दिया है, लोगों की पिटीशन के रूप में कह दिया है कि जमीनों को वापस दो, उस जमीन पर कोई अच्छा एडवोकेट बिठा कर उस जमीन को वापस लाया जाए, जो दिल्ली के विकास के लिए काम आएगी।

आज दिल्ली सिकुड़ती जा रही है। आज दिल्ली में जमीन है नहीं और वह जमीन दिल्ली के विकास के लिए काम आ सके, वह भी एक नैक्सस के माध्यम से ऐसी घटना घट रही है। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को

समाप्त करता हूँ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ramesh Bidhuri, you can continue your speech tomorrow.

The House stands adjourned to meet again tomorrow at 1100 am.

18.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 20, 2017/Agrahayana 29, 1939 (Saka).